



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर R.T.No 87
Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
71	नेवाजी मियां वो गोखुल मियां वो सुल्तान मिया वो उमरअली मियां , पिता-मानु मियां, जाति- सेख	1110		0 ऐ	20 डि	0 ऐ	5		1 / 71
		1110		0 ऐ	20 डि	0 ऐ			
		1149		0 ऐ	3 डि	0 ऐ			
		1149		0 ऐ	3 डि	0 ऐ			
		1328		0 ऐ	2.1 डि	0 हे			
		1328		0 ऐ	2.1 डि	0 हे			
		1329		0 ऐ	0.1 डि	0 हे			
		1329		0 ऐ	0.1 डि	0 हे			
		1331		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		1331		0 ऐ	0 डि	0 हे			
		1339		0 ऐ	10 डि	0 हे			
		1339		0 ऐ	10 डि	0 हे			
		1442		0 ऐ	12 डि	0 ऐ			
		1442		0 ऐ	12 डि	0 ऐ			
		1447		0 ऐ	5 डि	0 ऐ			

Greta Kumari

71	KHUSHBU KUMARI , पति-SUJIT KUMAR ROY, जाति- ----	2312	0 ऐ	0.83 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 15522/2021 - 2022	6 / 94
		2314	0 ऐ	3.3 डि	0 हे			
71	ARUN KUMAR PANDEY , ARJUN PANDEY , -----RAM HULASH PANDEY, जाति- ...	2595	0 ऐ	4.95 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 16859/2021 - 2022	7 / 8
71	ALI ANWAR KHAN , पिता-LATE HAFIZ KHAN, जाति- ----	1866	0 ऐ	3.7 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 18125/2021 - 2022	7 / 16
71	ALI ANWAR KHAN , पिता-LATE HAFIZ KHAN, जाति- ----	1866	0 ऐ	3.71 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 18136/2021 - 2022	7 / 17
71	RENU DEVI , -----RAVINDRA SINGH, जाति- ----	2425	0 ऐ	4.12 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 18563/2021 - 2022	7 / 39
71	RASHMI KUMARI , पति-UMESH KUMAR PATHAK, जाति- ब्राह्मण	2425	0 ऐ	5.78 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 20116/2021 - 2022	7 / 41
71	CHANDAN KUMAR , पिता-RAM LAL MAHTO, जाति- ----	2595	0 ऐ	6.19 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 20143/2021 - 2022	7 / 44
71	गीता कुमारी , पति-नीरज कुमार राम , जाति- ----	2312	0 ऐ	0.25 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 21126/2021 - 2022	7 / 57
		2314	0 ऐ	3.4 डि	0 हे			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

4/24/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Geeta Kumari